

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

पशुपालन विभाग,

इलाहाबाद/ गोरखपुर/ महाराजगंज/ बिजनौर/ सम्भल/ बरेली/ अमरोहा/ मेरठ/ एटा/ बस्ती/ मिर्जापुर/ सोनभद्र/  
जालौन/ बहराइच/ मैनपुरी/ फतेहपुर/ कानपुर-नगर/ हमीरपुर/ आजमगढ़/ मऊ/ बलिया/ फैजाबाद/ अमेठी/  
सुल्तानपुर/ पीलीभीत/ बलरामपुर/ प्रतापगढ़/ कुशीनगर/ चन्दौली/ गाजीपुर/ वाराणसी/ गोण्डा/ अम्बेडकर-नगर/  
महामायानगर/ फर्रुखाबाद/ औरैया/ लखीमीपुर-खीरी/ सीतापुर/ श्रावस्ती / सिद्धार्थनगर/ फिरोजाबाद/ भदोही/ झांसी/  
इटावा/ मुंनगर/ मेरठ/ उन्नाव/ लखनऊ एवं आगरा।

पत्रांक 1227/सा0-1/एक्स-120(188)/2015-16,

दिनांक: 23 फरवरी, 2016

विषय:

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि को व्यय करने हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-107/सैतीस-2-2016-1(39)/07, दिनांक 04 फरवरी, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित तथा निदेशालय को पृष्ठांकित है। जिसके द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 216 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि ₹0-17000.0हजार की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। आपके जनपद में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 में दिये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार धनराशि व्यय करने से पूर्व अनुरक्षण कार्य हेतु निर्मित आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी से आगणन पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि आहरण कर व्यय की जायेगी। इसका उल्लंघन करना वित्तीय अनियमितता होगी जिस के लिए पूर्ण उत्तरदायी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होंगे।
2. शासनदेश में दिये गये नियमों/शर्तों का अक्षरतः अनुपालन किया जायेगा।
3. अनुरक्षण कार्य कार्यदायी संस्था अथवा कार्यदायी फर्मों के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था अथवा फर्म द्वारा जब तक कार्य पूर्ण न करा दें। तब तक उसका भुगतान किसी भी दशा में न किया जाय।
5. आवंटित धनराशि से जनपद में जिन पशु चिकित्सालयों पर बिद्युत का आभाव है। उनका बिद्युतीकरण करने के उपरान्त जो धनराशि अवशेष बचेगी उससे अन्य संस्थाओं का सुदृढीकरण कराया जायेगा।
6. जनपद में मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ/ मा0 पशुधन मंत्री जी सन्दर्भ/ विधान सभा प्रश्न/ विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन समिति सन्दर्भ/ साँसदों/ विधायकों की माँग के अनुसार प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर सुदृढीकरण का कार्य कराया जायेगा।
7. संस्थाओं पर होने वाले कार्यों की गुणवत्ता देखने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के अधिकारी का होगा।
8. अनुरक्षण/सुदृढीकरण का कार्य उन्हीं संस्थाओं पर कराया जायेगा जिनके लिए पूर्व वर्षों में धनराशि की माँग की गई है।

भवदीय

(राजेश बान्)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास